

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह,  
सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०)  
झारखण्ड, राँची ।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

दिनांक:- 18/01/18

विषय:- केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृत केन्द्रांश राशि की प्रत्याशा में अनुपातिक राज्यांश राशि का 50% राशि राज्य के चयनित निकायों के स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु योजना के राज्यांश मद के SCSP प्रक्षेत्र से कुल रु० 4,60,00,000/- (चार करोड़ साठ लाख रुपये) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा विभिन्न CSMC बैठकों में राज्य के चयनित निकायों में योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है, तथा प्रथम किस्त केन्द्रांश की राशि आवंटन का अनुमोदन दिया गया है जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

(राशि करोड़ में)

| क्र० | योजना का नाम | CSMC बैठक         | स्वीकृत राशि | आवंटित राशि | देय राशि | समानुपातिक राज्यांश राशि |
|------|--------------|-------------------|--------------|-------------|----------|--------------------------|
| 1.   | PMAY         | 20 वीं/21.03.2017 | 46.434       | 38.31       | 8.12     | 4.06                     |
| 2.   |              | 22 वीं/29.05.2017 | 100.632      | 17.313      | 83.319   | 41.66                    |
| 3.   |              | 22 वीं/29.05.2017 | 119.60       | 0.00        | 119.60   | 59.80                    |
| 4.   |              | 25 वीं/23.09.2017 | 81.318       | 0.00        | 81.318   | 40.66                    |
|      |              | कुल राशि          | 347.984      | 55.623      | 292.357  | 146.18                   |

उक्त स्वीकृत राशि रु० 347.984 करोड़ में से मात्र रु० 55.623 करोड़ ही आवंटित की गयी है जिसमें शेष राशि रु० 292.357 करोड़ अभी तक अप्राप्त है। देय राशि के समानुपातिक राज्यांश राशि रु० 146.18 करोड़ मात्र योजना कार्यान्वयन हेतु आवंटित किया जाना है।

ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, भारत सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है जिसका अनुश्रवण भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर किया जा रहा है। राशि के अभाव के कारण योजना की प्रगति निकट भविष्य में धीमी होने की संभावना है। अतः जनहित एवं कार्य की महत्ता को ध्यान में रखते हुए उक्त स्वीकृत देय राशि के समानुपातिक राज्यांश राशि की निकासी कर चयनित निकायों को आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

2. उल्लेखनीय है कि योजना-सह-वित्त-विभाग के पत्रांक संख्या-423 दिनांक-07.02.2017 की कण्डिका-2 के अनुसार "केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में केन्द्रांश की विमुक्ति की प्रत्याशा में राज्यांश की 50% राशि का ही व्यय किया जा सकता है"। अतः उक्त के आलोक में राज्यांश मद के SCSP प्रक्षेत्र में उपबंधित राशि से कुल रु० 4,60,00,000/- (चार करोड़ साठ लाख रुपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. स्वीकृत राशि के निकासी में वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री आवास योजना के राज्यांश मद के SCSP प्रक्षेत्र से निम्नवत् शीर्ष के अंतर्गत उपबंधित राशि से स्वीकृति की जायेगी।

| प्रक्षेत्र | बजट शीर्ष  | स्वीकृत राशि  |
|------------|--|---------------|
| SCSP       | बजट माँग सं०-48- नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)-मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास- उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य-लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-89- प्रधानमंत्री आवास योजना (पी०एम०ए०वाई०) हेतु अनुदान (राज्यांश)-विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) कोड-48P221780789890679 | 4,60,00,000/- |

4. उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे जिनके द्वारा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची से की जायेगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को यह निदेशित किया जाता है कि स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनिवार्य रूप से करते हुए राशि का संधारण विभागीय आदेश संख्या-02 दिनांक-03.01.2017 के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), हेतु अलग से खोले गये बैंक खाता में करेंगे तथा कंडिका 2 में अंकित तालिका के अनुसार PFMS के माध्यम से राशि आवंटित करना सुनिश्चित करेंगे। निदेशालय की बैंक विवरणी निम्नवत् है:-

| Account Name               | Name of Bank                     | IFSC Code   | A/c No.         |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------|
| Pradhan Mantri Awas Yojana | BOI, CLUBSIDE, Main Road, Ranchi | BKID0004902 | 490210110014358 |

6. प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 की उपयोगिता प्रमाण पत्र विवरणी निम्नवत् है:-

| वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राप्त राशि (राज्यांश) | व्यय की गई राशि | उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि | पत्रांक/दिनांक  |
|--|-----------------|------------------------------|-----------------|
| रु० 2321.70 लाख                                  | रु० 2321.70 लाख | रु० 2321.70 लाख              | 2675/14.12.2017 |

7. राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों (पत्रांक-2561 सहित) के आलोक में की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता 2016 के प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा।

8. संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के प्रशासी पदाधिकारी को यह निदेशित किया जाता है कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम के आलोक में बजट संबंधी धाराओं के अन्तर्गत राशि सम्मिलित करने के उपरांत ही नियमानुसार उक्त राशि का व्यय करेंगे।

9. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों को देखने एवं जाँच करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

11. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या-301, दिनांक-11.03.2015 के आलोक में उक्त राशि आवंटित किये जाने के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-759/वि० दि०-20.03.2015 के कंडिका-5 के अनुसार उल्लेखित स्वीकृत राशि का प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि स्वीकृत राशि की निकासी उल्लेखित वित्त विभागीय संकल्प के द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में की जाए।

विश्वासभाजन


  
(अरुण कुमार सिंह) 3.1.18

सरकार के प्रधान सचिव।

राँची, दिनांक-18/01/18

ज्ञापक- 7/न०प्र०नि०/PMAY-Fund (खण्ड -क)/09/2015-237

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय के प्रधान आप्त सचिव/योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग/कोषागार पदाधिकारी प्रोजेक्ट भवन कोषागार धुर्वा, राँची/अवर सचिव, बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/ उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगरीय प्रशासन निदेशालय/श्री कुणाल, विशेषज्ञ को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने /ऑनलाईन आवंटन हेतु श्री संदीप अग्रवाल, सहायक, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के प्रधान सचिव।